लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 355
दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सोलापुर चद्दर वस्त्र उद्योग की नकल

355. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के अन्य भागों में सोलापुर चद्दर वस्त्र उद्योग की नकल से संबंधित रिपोर्टों की जानकारी है, जिसके कारण सोलापुर में स्थानीय वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) सरकार द्वारा सोलापुर चद्दर वस्त्र उद्योग की विशिष्ट पहचान और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या उक्त चुनौती का सामना करने के लिए कौशल विकास, आधुनिकीकरण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के संदर्भ में सोलापुर वस्त्र उद्योग को समर्थन देने हेतु कोई पहल किए जाने की योजना है या उक्त पहल को कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) तथा (ख) –सोलापुर चद्दर जीआई पंजीकृत उत्पाद है। माल का भौगोलिक संकेतक (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत 104 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है। जीआई उत्पादों के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को इस अधिनियम के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पादों के अवैध विनिर्माण/मार्केटिंग के विरूद्ध अपने हितों की रक्षा के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार है।

सरकार केवल हथकरघा पर आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन और देश में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को कार्यान्वित कर रही है। कुछ तकनीकी विशिष्टताओं के साथ 11 टेक्सटाइल्स आर्टिकल्स विशेष रूप से हथकरघा पर उत्पादन के लिए आरक्षित किए गए हैं। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इस योजना के तहत पात्र राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षेत्र में संबंधित राज्य हथकरघा विभागों और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किए जाते है।

सरकार ने हथकरघा पर बुने गए उत्पादों की पहचान के लिए 'हैंडलूम मार्क' की शुरुआत की है। इन उपायों को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर जागरूकता पैदा करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता हैं।

(ग) आधुनिकीकरण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले सहित पूरे देश में हथकरघा को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के विभिन्न इंटरवेन्शन्स के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की जा रही है:

(i) हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए): सोलापुर चादर सहित हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही, हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए "इंडियाहैंडमेड" - ई-कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

(ii) क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीडीपी): हथकरघा कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उत्पाद एवं डिजाइन विकास, उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण, सौलर लाइटिंग सिस्टम, वर्कशेड आदि जैसे विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले सहित पूरे देश में समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत, तकनीकी क्षेत्रों अर्थात बुनाई, रंगाई/छपाई, डिजाइनिंग आदि में हथकरघा कामगारों के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल उन्नयन कार्यक्रम, संचालित किए जाते हैं।

****